

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या 201 तिथि- 30.06.2016 के संदर्भ में /

मेसर्स पाटलीपुत्रा रेसिडेन्सी प्रा० लि०, डाइरेक्टर- राजीव आनन्द, जे-154, पी.सी. कॉलोनी, कंकडबाग, पटना।

- (क) ☒ आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

एतु नगर पंचायत दानापुर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित स्कीम के प्लॉट नं०- 42 एवं 43, खाता नं०- 167/175, 171, लौजी नं०-5276, थाना नं०- 36, मौजा-मुस्तफापुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों / निबंधनों के अधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान कैस नं०-...../16-17 तथा जिसका निर्माण क्षेत्रफल 3783.84 (Block A+B) वर्ग मीटर है, में G+4 भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 953.65 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपचार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) हम उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की गारंटी कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ब) अन्य शर्तें

विहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरमः अनुपालन करने हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

Raw
21/01/17
कनीय आभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

570 —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापक: 202 / दिनांक: 21/01/2017

प्रतिलिपि:- मेसर्स पाटलीपुत्रा रेसिडेन्सी प्रा0 लि0, डाईरेक्टर- राजीव आनन्द, जे-154, पी.सी. कॉलोनी, भवद्वारा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Patliputra Residency Pvt. Ltd.

Amir
Director

Amir
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत